



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 1979/माघ 17, 1900
No. 69] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 1979/MAGHA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1979

क्र. आ. 76(अ).—वर्तमान अधिनियम, 1952 (1952 का 36वां) की धारा 6 की
उप-धारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार
एतद्वारा यह निर्देश देती है कि "वि एजेंसीस" (संशोधित) (अंग्रेजी) नामक फिल्म,
जिस केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 'ए' प्रमाण-पत्र संख्या 4080, दिनांक 27 अगस्त,
1977 प्रदान किया गया था, को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से समूचे भारत में
अप्रामाणीकृत फिल्म माना जाएगा।

[फाइल संख्या 9/50/78-एफ. सी.]

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th February, 1979

S.O. 76(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the film "The Exorcist" (Revised) (English) which was granted 'A' certificate No. 4080 dated the 27th August, 1977 by the Board of Film Censors shall be deemed to be an uncertified film in the whole of India with effect from the date of issue of this notification.

[F. No. 9/50/78-FC]

क्र. आ. 77(अ).—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) का धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि "जादू टोना" (हिन्दी) नामक फिल्म, जिसे केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 'ए' प्रमाण-पत्र संख्या 3363, दिनांक 19 नवम्बर, 1977 प्रदान किया गया था, को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से समूचे भारत में अप्रमाणीकृत फिल्म माना जाएगा।

[फाइल संख्या 9/51/78-एफ. सी.]

राज कुमार शास्त्री, संयुक्त सचिव

S.O. 77(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the film "Jadu Tona" (Hindi) which was granted 'A' Certificate No. 3363 dated the 19th November, 1977 by the Board of Film Censors shall be deemed to be an uncertified film in the whole of India with effect from the date of issue of this notification.

[F. No. 9/51/78-FC]

R. K. SHASTRI, Joint Secy.